

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सिरौही

कार्यालय-आदेश


श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक:प.17(2)शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.05.2017 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में 6 डी के तहत चयनित/राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के अन्तर्गत नियुक्त पूर्व से कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों का उनके नाम के आगे अंकित लेवल एवं विषयवार यथावत विद्यालय में समायोजन तत्काल प्रभाव से किया जाता है। इनका जून 2017 का वेतन समायोजित विद्यालय (मा.शि. विभाग) से ही आहरित होगा।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	जन्मतिथि	पद	विषय	पदस्थापन	ब्लॉक	समायोजित पद	समायोजित विषय
1	धन्नाराम	15.06.1977	अध्यापक लेवल-1	-	राउमावि पोसितरा	रेवदर	अध्यापक लेवल-1	-
2	पुष्पा मीणा	24.09.1981	अध्यापक लेवल-1	-	रामावि माण्डवा	सिरौही	अध्यापक लेवल-1	-
3	जयन्तिलाल रावल	10.08.1972	अध्यापक लेवल-1	सामाजिक अध्ययन	राउमावि कोजरा	पिण्डवाडा	अध्यापक लेवल-1	सामाजिक अध्ययन

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को देवें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
3. पंचायत राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।

संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।



(चन्द्रमोहन उपाध्याय)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा सिरौही

क्रमांक: जिशिअ/मा/सिरौही/संस्था-2/2017/ 993

दिनांक: 27.05.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, पाली संभाग, पाली/जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, सिरौही/
6. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी संबंधित कार्मिकों के सेवाभिलेख समायोजित विद्यालय में भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।
7. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।


अति. जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा सिरौही